पत्रांकः- यू.पी.ए.ए./08/01-91/02-2015

दिनंाक-27.02.2015

सेवा में,
केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त
सतर्कता भवन,
ब्लॉक-ए, जी.पी.ओ. कॉम्पलेक्स, आई.एन.ए.,
नई दिल्ली-110023.

विषयः- आर्कीटेक्ट्स की फीस निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश आर्कीटेक्ट्स ऐसोशिएसन आपके संज्ञान में लाना चाहती है कि बहुत से सरकारी विभाग अपने भवनों की मरमत/आन्तिरिक साज-सज्जा तथा छोटे-मोटे निर्माण कार्य आवश्यकता अनुसार कराते रहते है। इन छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिये प्राइवेट वास्तुविदों की सेवाऐं ली जाती है। इसी क्रम में सभी बैंक भी अपनी शाखाओं से सम्बन्धित कार्यो के लिये प्राइवेट वास्तुविदों की सेवाऐं लेते है। यह कार्य छोटे स्तर के होते है तथा सामान्यतः 30 लाख रूपये के आस-पास में पूर्ण हो जाते है। हाल ही में ऐसोशिएसन के संज्ञान में आया है कि बैंक आॅफ इण्डिया के गाजियाबाद कार्यालय ने आर्कीटेक्ट की सेवाओं को 0.01 प्रतिशत फीस पर स्वीकृत किया है। चूकि फीस निविदा प्रक्रिया द्वारा निर्धारित की गयी है इसलिये इस प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगता है तथा इसका पुनर्वालोकन करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। बैंक द्वारा ली जाने वाली सेवाओं का विस्तृत विवरण साथ में संलग्न है उसका अध्ययन करने का कष्ट करें। तद्ोपरान्त ऐसोशिएसन निम्न तथ्यों को आपके विचार हेतु संज्ञान में लाना चाहती है-

1. ऊपर बैंक द्वारा स्वीकृत की हुई फीस के अनुसार 30 लाख रूपये की लागत के कार्य को क्या 300 रूपये फीस में (जिसमें स्टेशनरी इत्यादि का खर्चा शामिल है) में सम्पन्न किया जा सकता है?
2. क्या इतनी कम फीस में कार्य की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी?
3. क्या एल-1 की कोई सीमा होनी चाहिए?
4. इस सम्बन्ध में इण्डियन बैंक एसोशिएसन तथा काउन्सिल आॅफ आर्कीटेक्चर द्वारा निर्धारित मापदण्ड सतर्कता आयोग के लिये महत्वहीन क्यों है?
5. क्या सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों से कार्य के प्रति गुणवत्ता तथा ईमानदारी प्रतिष्ठित हो पा रही है?
6. यदि नही तो क्या उक्त प्रणाली राष्ट्र या समाज के हित में है?
7. यदि अन्तिम परिणाम सही नही है तो भी क्या हमें प्रणाली जारी रखनी चाहिए या अन्य विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए?

हमारी ऐसोशिएसन की धारणा है कि निर्माण कार्य के लिये ठेकेदार अथवा किसी सामान को क्रय करने के लिये निविदा की प्रक्रिया उचित हो सकती है लेकिन जहां पर मानवीय गुणों पर आधारित कार्य होना हो वहां पर कार्य की गुणवत्ता मानवीय गुणों से सीधे-सीधे प्रभावित होती है। व्यावसायिक दक्षता (च्तवमिपदवंस ब्वउचमजमदबल) तथा ईमानदारी दोनों ही मानवीय गुणों से सम्बन्ध रखते है। अतः हमारा मत है कि व्यावसायिक सेवाओं तथा सामान की खरीद बिक्री दोनों को केवल वित्तीय आधार पर तौलना उचित नही है।

इसके लिये पहले से इण्डियन बैंक ऐसोशिएसन तथा कांउन्सिल आॅफ आर्कीटेक्चर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया यदि आपको उचित नही लगती है तो कांउन्सिल आॅफ आर्कीटेक्चर के समन्वय से उचित प्रक्रिया बनायी जा सकती है। हमारे विचार में इन छोटे-छोटे कार्यो के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जा सकती है-

1. छोटे कार्यो की श्रेणी की सीमा पांच करोड़ रूपये तक रखी जा सकती है।
2. इन कार्यो के लिये विभागों को अपने कार्य की आवश्यकता अनुसार दक्ष आर्कीटेक्ट का चयन कर एक पैनल बनाया जा सकता है।
3. . इन सभी कार्यो के लिये प्रतिशत के आधार पर फीस का निर्धारण कर दिया जाना चाहिए। यहां यह आवश्यक है कि फीस प्रतिशत के आधार पर ही तय की जाये अन्यथा कि स्थिति में मंहगाई के अनुसार इसमें बढ़ोत्तरी हमेशा विवाद का कारण रहेगी। जिन कार्यो की फीस प्रतिशत के आधार पर तय नही हो सकती उनकी फीस रूपये में निश्चित करके उसमें एक समय अन्तराल के बाद बढ़ोत्तरी का सूत्र दे दिया जाये।
4. पैनल में से आर्कीटेक्ट का चयन विभागीय बुद्धिमत्ता पर छोड़ दिया जाये।

हमें आशा है कि आप उक्त प्रकारण को राष्ट्र हित में लेगंे तथा सही मायनों में राष्ट्र हित सुनिश्चित करने की अवश्य कोशिष करेगें तथा इसे आर्कीटेक्ट्स के हित में उठाया हुआ मद्दा मानकर नही नकारेगें। यदि आवश्यकता हो तो एसोशिएसन सहायता के लिये तत्पर होगी।

सधन्यवाद।

भवदीय

अध्यक्ष

राजीव कुमार द्विवेदी

संलग्नकः-

1. बैंक आॅफ इण्डिया द्वारा स्वीकृत 0ः01 प्रतिशत फीस की प्रति।

2. सभी बैंको में प्रचलित कार्य दायित्व (ैबवच व ंिवता) की प्रति।
3. काउन्सिल आॅफ आर्कीटेक्ट्स द्वारा निर्धारण फीस की गाइड लाइन्स।
4. इण्डियन बैंक ऐसोशिएसन द्वारा निर्धारित फीस की गाइड लाइन्स।